



2026:AHC:127120

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 17471 वर्ष 2026

मोहम्मद अरशद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: आदित्य नंदन, विकास श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., राघवेंद्र प्रकाश

न्यायालय संख्या- 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास श्रीवास्तव, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रकाश और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 69 वर्ष 2026, धारा-103(1) और 61(2)ए बी.एन.एस., थाना- करेली, जिला- प्रयागराज के अंतर्गत, उसे जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि नामित आरोपी अन्य लोगों के साथ चाय की दुकान पर आया, जहाँ प्रथम शिकायतकर्ता के पिता इरफ़ान बैठे थे और उन्हें गोली मार दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर दो नामित आरोपियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और प्रथम शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार, नामित आरोपी ने ही मृतक पर गोली चलाई थी। प्रथम शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अस्पताल ले जाते समय मृतक ने अपनी बहन सूफिया को बताया था कि उसे राशिद दुर्गानी ने गोली मारी थी। चश्मदीद गवाह सूफियान अहमद ने भी कथन दिया है कि राशिद दुर्गानी ने ही मृतक पर गोली चलाई थी। आवेदक पर आरोप है कि उसने जमीन के विवाद के कारण मृतक की हत्या करने के लिए अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। यह सर्वविदित है कि आवेदक घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और यह दलील दी गई है कि आपराधिक साजिश में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में कोई सबूत नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक 18.04.2026 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर अवमुक्त होने का हकदार है। जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसका कड़ा विरोध किया है और कहा है कि अपराध जघन्य प्रकृति का है और यह हत्या का मामला है जिसमें इस बात के सबूत हैं कि आवेदक साजिशकर्ताओं में से एक था, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. की परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक की भूमिका केवल आपराधिक साजिश रचने की है और वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- मोहम्मद अरशद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान साक्ष्य के लिए तय तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह अनुमन्य होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। बिना किसी पर्याप्त कारण के उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 (संबंधित धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय की गई तारीख पर न्यायालय के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आईपीसी की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बीएनएस) के तहत विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (संबंधित धारा 351 बीएनएसएस) के तहत कथन दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12 जून, 2026

आदित्य जी

(संजीव कुमार, न्यायाधीश)

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित:-

आदित्य गौतम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"